रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 319] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 2, 1970/भाद्र 11, 1892

No. 319] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 2, 1970/BHADRA 11, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

ORDER

New Delhi, the 2nd September 1970

S.O. 2969.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Commerce and Industry No. S.O. 581, dated the 4th March, 1963, read with the Orders of the Government of India in the late Ministry of Commerce No. S.O. 816, dated the 4th March, 1968, in the late Ministry of Foreign Trade and Supply (Department of Foreign Trade) No. S.O. 922, dated the 3rd March, 1969, and in the Ministry of Foreign Trade No S.O. 835, dated the 28th February, 1970, the management of the industrial undertaking known as the Pratap Spinning, Weaving and Manufacturing Company Limited, Amalner (Maharashtra), had been taken over by the Authorised Controller referred to in the Order first mentioned above for a period upto and inclusive of the 3rd September, 1970;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said industrial undertaking by the said Authorised Controller should continue for a further period of three months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of Section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65

of 1951), the Central Government hereby directs that the Order first mentioned above shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 3rd December, 1970.

[No. F.13(1)Tex(G)/68-I.]

विदेशी व्यापार मन्त्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 1970

का० आ० 2969—यत: भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय के आदेश संख्या का० आ० 816, दिनांक 4 मार्च, 1968, भूतपूर्व विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मन्त्रालय (विदेशी व्यापार विभाग) के आ० का० संख्या 922, दिनांक 3 मार्च, 1969 और विदेशी व्यापार मन्त्रालय के आदेश सं० का० आ० 835 दिनांक 28 फरवरी, 1970 के साथ पठित भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के आदेश स० का० आ० 581, दिनांक 4 मार्च, 1963 द्वारा प्रताप स्पिनिंग, वीविंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड अमालनेर (महाराष्ट्र) नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ऊपर वर्णित अन्तिम आदेश में निर्दिष्ट प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा 3 सितम्बर, 1970 तक की कालावधि के लिये, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, ले लिया गया था ;

और यत: केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में यह समीचीन है कि उक्त प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा उस औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध तीन मास की अतिरिक्त कालावधि के लिये बना रहना चाहिए ।

अतएव अब उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि ऊपर वर्णित अन्तिम आदेश 3 दिसम्बर, 1970 की कालावधि तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी बना रहेगा ।

[सं० फा० 13 (1)-वस्त्र (जी)/68-1]

S.O. 2970.—In exercise of the powers conferred by Section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), and in continuation of the Orders of the Government of India in the late Ministry of Commerce Nos. S.O. 2082, dated the 10th June, 1968, S.O. 4652, dated the 30th December, 1968, in the late Ministry of Foreign Trade and Supply (Department of Foreign Trade) No. S.O. 923, dated the 3rd March, 1969, and in the Ministry of Foreign Trade No. S.O. 836, dated the 28th February, 1970, the Central Government hereby extends the term of Shri T. G. Chowdhari for a further period upto and inclusive of the 3rd December, 1970.

[No. F. 13(1)-Tex(G)/68-II.]

C. S. RAMACHANDRAN, Addl. Secy.

का० आ० 2970.—उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय के आदेश संख्या का० आ० 2082, दिनांक 10 जून, 1968, का० आ० 4652, दिनांक 30 दिसम्बर, 1968 और भूतपूर्व वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय (विदेशी व्यापार विभाग) के

आदेश संख्या का० आ० 923, दिनांक 3 मार्च, 1969 तथा विदेशी व्यापार मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 836 दिनांक 28 फरवरी, 1970 के क्रम में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री टी० जी० चौधरी की पदावधि को 3 दिसम्बर, 1970 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, की अवधि के लिए बढ़ाती है ।

[सं० फा० 13 (1)—टैक्स (जी)/68—II]

सी० एस० रामचन्द्रन, अपर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1970